

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा-प्रारं/साप्र/बी/2611/मूल/22 दिनांक 20-4-2023 द्वारा पत्रांक शिविरा-प्रारं/साप्र/बी/2611/मूल/21 दिनांक 23-3-2022 के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रस्तावों हेतु इस कार्यालय को प्रेषित अनुमोदित सूची का राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए-5 (51) कार्मिक/क-2/88-1 दिनांक 29-4-99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे अंकित सूची अनुसार 16 अभ्यर्थियों का कनिष्ठ सहायक पद पर एवं 04 अभ्यर्थियों का सहायक कर्मचारी के पद पर कुल 20 अभ्यर्थियों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया जाकर अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख अंकित जिलों में पदस्थापन हेतु जिला आवंटित किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जांच करें।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी/केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें। (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं।
5. दत्तक पुत्र, पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2) डीओपी/ए-11/06 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रुल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनीज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनेरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती हैं।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2(2) वित्त (नियम) 2021 पार्ट जयपुर दिनांक 25-5-2022 एवं 26-5-2022 तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुसार सामान्य प्रावधायी निधि की नियमानुसार मासिक कटौती की जावेगी।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।

11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।
12. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए-11/2006 दिनांक 05.07.2010 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.2010 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानांतरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.2010 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। इन्हें आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.2009 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।
14. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे।
15. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ए-11/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
16. मृतक प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है अतः प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर ही दी जायेगी। रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेंगे।
17. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।
18. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5 (51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
19. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिस पर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो।
20. राज्य सरकार के आदेशानुसार धूम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।
21. जिन प्रकरणों में कार्मिक विभाग/शासन से शिथिलन प्राप्त है, उन प्रकरणों में प्राप्त शिथिलन में निहित शर्तों की अनुपालना की जावे।
22. जिन प्रकरणों में शिथिलन प्रदान किया गया है एवं जो अन्य विभाग के होने के कारण कार्मिक विभाग से प्राप्त हुए हैं उसमें शिथिलन आदेश में वर्णित शर्तों एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त होने वाले प्रकरणों में कार्मिक विभाग के पत्र में वर्णित शर्तों की अनुपालना होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। इस हेतु नियुक्ति आदेश जारीकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
23. विधवा आवेदक के प्रकरणों में यदि पति की जाति जोड़कर आवेदन किया गया है तो नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व अपने स्तर पर नाम विसंगति के संदर्भ में पूर्ण पुष्टि करते हुए पुष्टि होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें तथा विवाहित आवेदक के संबंध में नियम-5 का जिशिअ का प्रमाण पत्र, आवेदक का शपथ पत्र एवं आवेदक की पत्नी का नियम-5 का शपथ पत्र प्राप्त करें। अविवाहित आवेदक के संदर्भ में वैवाहिक स्थिति का अद्यतन शपथ पत्र प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करें। यदि वैवाहिक स्थिति में अंतर है तो आवेदक के आश्रितों के संबंध में नियम-5 के समस्त दस्तावेज (आवेदक व आवेदक की पत्नी



का शपथ पत्र, आवेदक के आश्रित परिवार के संबंध में जिशिअ का प्रमाण पत्र) प्राप्त होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें ।

24. आवेदक की जन्मतिथि के संबंध में नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर प्रथमतः शैक्षणिक योग्यता/टीसी (सक्षम स्तर से प्रमाणित) एवं केवल, आवेदक के विद्यालय प्रवेश नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी जन्म प्रमाण पत्र से पुष्टि करने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें ।

चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी है, अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुये पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाएँ एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियों उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

(स्थिर पारिश्रमिक कनिष्ठ सहायक 14,600/-रु. मासिक एवं सहायक कर्मचारी स्थिर पारिश्रमिक 12,400/- रुपये मासिक)

क्र. सं.	आवेदक का नाम योग्यता एवं जन्म तिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित पद	मृतक का नाम व पदनाम	मृतक कार्मिक का कार्यरत जिला	आवंटित जिला
1	प्रेमसिंह मीणा सी.सै., 20-10-2000	पुत्र	09-9-2022 कनिष्ठ सहायक	लालाराम मीणा व.अ.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
2	अभ्युदय कलावत सी.सै., 04-5-2000	पुत्र	04-2-2023 कनिष्ठ सहायक	मुकेश कुमार व.अ.	सिरोही	सिरोही
3	संदीप कुमार मिठारवाल, सी.सै., बी.ए., 30-6-1998	पुत्र	07-2-2023 कनिष्ठ सहायक	केदारमल मिठारवार व.अ.	सीकर	सीकर
4	निर्मला सी.सै., 08-8-1981	पत्नी	17-6-2021 कनिष्ठ सहायक	सुरेश कुमार महावर अध्यापक	चित्तौड़गढ़	कोटा
5	राजराज चौधरी सी.सै., बी.ए. 15-7-1993	पति	09-1-2023 कनिष्ठ सहायक	नन्दू जाट अध्यापक	जयपुर	जयपुर
6	दीपक सी.सै., 20-2-2004	पुत्र	03-7-2020 कनिष्ठ सहायक	कृष्णा बाई अध्यापक	झुंझुनू	झुंझुनू
7	अरविंद कुमार मेधवाल, सी.सै., बी.ए., 12-2-1993	पति	08-9-2022 कनिष्ठ सहायक	मनु कुमारी मेधवाल अध्यापक	उदयपुर	उदयपुर
8	मेवा देवी सी.सै., 12-7-1979	पत्नी	29-9-2022 कनिष्ठ सहायक	महिपाल सिंह शा.शि.	झालावाड़	झुंझुनू
9	सुलोचना मेहरा सी.सै., 02-3-1994	पत्नी	03-11-2022 कनिष्ठ सहायक	गिरिजाशंकर मेहरा अध्यापक	कोटा	कोटा
10	भानुप्रकाश छीपा सी.सै., बी.कॉम. 29-7-1993	पति	17-1-2023 कनिष्ठ सहायक	रीना नामदेव अध्यापक	बारां	झालावाड़



11	शिवराम सी.सै., बी.ए. 02-9-1995	भाई	07-4-2022 कनिष्ठ सहायक	महेन्द्र कुमार अध्यापक	कोटा	बूंदी
12	चारु शर्मा सी.सै., बी.ए. 29-12-1998	दत्तक पुत्री	20-2-2020 कनिष्ठ सहायक	प्रेमलता शर्मा अध्यापक	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
13	सोनल सी.सै., 01-6-1996	पुत्री	12-12-2022 कनिष्ठ सहायक	लक्ष्मीदेवी अध्यापक	सीकर	सीकर
14	प्रवीण कुमार यादव सी.सै., 18-12-1992	पुत्र	11-2-2021 कनिष्ठ सहायक	केशवलाल यादव अध्यापक	डूंगरपुर	डूंगरपुर
15	रंजना रेडिया सी.सै., 15-7-1992	पत्नी	24-6-2022 कनिष्ठ सहायक	हेमराज वर्मा अध्यापक	सवाई माधोपुर	अजमेर
16	ओमेश कुमार जैन सी.सै., एम.कॉम. 15-3-1997	पुत्र	14-6-2022 कनिष्ठ सहायक	रूपचंद जैन व.अ.	बूंदी	बूंदी
17	दयाराम 8वी, 28-8-2002	पुत्र	10-1-2023 सहायक कर्मचारी	लालसिंह सहायक कर्मचारी	सीकर	सीकर
18	सरोज देवी साक्षर, 15-1-1992	पत्नी	07-11-2022 सहायक कर्मचारी	विजय सिंह जाटव अध्यापक	अलवर	दौसा
19	ललीता मीना साक्षर, 04-7-1987	पत्नी	24-8-2021 सहायक कर्मचारी	भीमसिंह मीना अध्यापक	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
20	पुष्पा परिहार सैकण्डरी 01-7-1987	पत्नी	10-11-2022 सहायक कर्मचारी	मोतीलाल परिहार अध्यापक	पाली	पाली

क्रम संख्या 12 पर अंकित प्रकरण में शासन से शिथिलन प्राप्त है।

(गौरव अग्रवाल)

L.A.S.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/अनु.नियु./61217/नियुक्तिमूल/प्राशि/2023/113-117 दिनांक : 25-4-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त अभ्यर्थियों के मूल प्रकरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय को प्रेषित करावें।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,

8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक) मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आप उपरोक्त अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश व कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय के दोनो **email** sogad2015@gmial.com and gadcle726@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें।
9. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक)
10. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

